निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 65 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर(चमोली),** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर(चमोली),** के माह 02/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक चौधरी, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 17/10/2018 से 26/10/2018 तक श्री ए. के. जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.एस. दरियाल एवं श्री पी. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शशांक, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22/02/2017 से 03/03/2017 तक श्री जग मोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2016 से 01/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पुलो एवं मार्गो का रखरखाव, जोशीमठ ब्लॉक, दशोली ब्लॉक ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-			1106.55	1106.55		-
2016-2017	-	-			1333.76	1333.76		-
2017-2018	-	-			3000.68	3000.68		-
2018-2019	-	-			1044.22	640.35		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार, प्रमुख अभियंता/ लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(iii) इकाई की श्रेणी "बी" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर(चमोली),** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर(चमोली),** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जुम्मा से रागा लग्गा दौमागिरी मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 26/03/2018 का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 04/2016 ततजा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` (-) 4254720.45 /-

   भाग द्वितीय ` 71740.48 /-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 4054850.31 /-

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप ` 62736470.89 /-

   (ङ) भण्डार ` 1998321.00 /-

भाग -दो 'ब'

प्रस्तर-1 :- ₹6.95 करोड़ की अर्थदण्ड की वसूली न किए जाना |

As per the rule 378 of FHB-Vol-VI- No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officer.

As per point 15 of MOU – Work Schedule- The implementing agency shall strictly adhere to work schedule given at para-2 [date of start of the project – 01/06/2016 and Handing over of finished and completed project in all respect as per provisions of technically sanctioned DPR – 30/11/2017 (Eighteen Months)]. In case of delayed completion of work punitive deduction at the rate of 0.1 percent of the estimated cost of said item for every day will be done.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के निर्माण कार्यों के अभिलेखों कि लेखा-परीक्षा के नमूना जांच में पाया गया कि Construction work for 135 Mtr Span Suspension Pedestrian Steel Bridge on Govindghat to Ghangharia Road at Km 10 in Chamoli District of Uttarakhand जनपद चमोली के विकास खंड जोशीमठ में गोविंद घाट घाँघरिया पैदल मार्ग के किमी0 - 10 में लक्ष्मण गंगा नदी के ऊपर 135 मी0 स्पान पैदल झूला पुल के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृती शासनादेश सं - 8276/III (2)/16-31 (प्रा0 आ0)/2015, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के द्वारा लागत रु0 2073.64 लाख हेतु प्रदान की गई थी। शासनादेश सं - 5063/III (2)/16-31 (प्रा0 आ0)/2015, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा विषयक कार्य हेतु मै0 ब्रिज एण्ड रुफ़ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कोलकाता को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

कार्यदायी संस्था के साथ निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 03/05/2016 को एक एम0ओ0यू0 (MOU) निष्पादित किया गया, जिसके अनुसार कार्यदायी संस्था को Surveys Sub Soil Investigation, Structural Design, Preparation of DPR इत्यादि सहित कुल लागत रु0 2073.64 लाख, Project को प्रारंभ की तिथि 1.6.2016 एवं Completion की तिथि 30.11.2017 थी। लेखा-परीक्षा तिथि (अक्टूबर 2018) तक उस संस्था को विभाग द्वारा रु0 18.50 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका था तथा दिनांक 21 जुलाई 2018 को उक्त पुल गिर गया।

उक्त कार्यस्थल जोकि वन विभाग के परिक्षेत्र में है वन विभाग के स्वीकृति के बगैर कराया जा रहा था उपरोक्त वित्तीय नियमों के विपरीत है साथ ही खंड द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ किए गये MOU के बिन्दु 15 के अनुसार लेखा- परीक्षा तिथि (अक्टूबर 2018) पुल का

निर्माण नहीं किए जाने पर रु0 694.67 लाख[1] का अर्थदण्ड लगाना चाहिये था जबकि अर्थदण्ड नहीं लगाया गया। साथ ही विभाग द्वारा उचित Monitoring की जाती तो पुल को गिरने से बचाया जा सकता था। इस प्रकार उचित Monitoring जो विभाग द्वारा की जानी थी, नहीं की गई, विभाग की लापरवाही को इंगित करता है।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 22.12.2017 को समयवृद्धि प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त पर अंतिम निर्णय के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। वन विभाग से पत्राचार जारी है। वन विभाग से स्वीकृति के प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ किया गया।

लेखापरीक्षा खंड के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि (नवम्बर 2017) बीत जाने के 11 माह बाद भी अर्थदण्ड की कटौती नहीं की गई थी जो MOU की शर्तानुसार अर्थदण्ड लगाया जाना था। उल्लेखनीय है कि उक्त पुल भी गिर गया है।

अतः ₹ 6.95 करोड़ की अर्थदण्ड की वसूली लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

[1]2073.64 X 0.1%X335 days = 694.67 lakh say 6.95 crore.

भाग –दो 'ब'

प्रस्तर-2 रु0 42.74 लाख की रॉयल्टी की अधिक की गई कटौती का वापस न किया जाना।

उत्तरखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या 842 / VII-1/2016 / 24–ख / 2007
देहरादून दिनांक 19 मई 2016

अधिसूचना

शासन के अधिसूचना संख्या– 211 / VII-1/24–ख / 2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तरखण्ड खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वीमित्व (रायल्टी) की दर (नियम 21) के क्रमांक– 8 में विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायल्टी की दर को नियमानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वर्तमान प्रावधान		एतद् द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
खनिज का नाम	रायल्टी की दर	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दर एवं निर्धारित नदी तल (धनराशि रू0 में)
8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	194.5 प्रति घन मी0 अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल	8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	1 रू0 8.50 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 187.00 प्रति घन मी0 (गोला नदी) 2. रू0 8.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 176.00 प्रति घन मी0 (कोसी, दाब का नदी) 3. रू0 7.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 154.00 प्रति घन मी0 (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के माह 02/2017 से माह 09/2018 तक के वाउचरों/बिलों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी तात्कालिक लागू पूर्ण दर से अर्थात मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र में दरों में बगैर अंतर के समान दर से कटौती करते हुए रु0 85,47,113 [लेखा परीक्षा में जितने बिलों (संलग्न) की जांच की गई] की कटौती की गई एवं राजस्व में जमा किया गया है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र/गोपेश्वर में सडकों के निर्माण में उपयोग किये गये उपखनिज पर रायल्टी की कटौती ठेकेदारों से मैदानी क्षेत्र की तरह की दरों से कटौती की गई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रॉयल्टी दर निर्धारित रॉयल्टी दर का 50 लागू होगा। फलस्वरूप ठेकेदार नागरिकों से रु0 42.74 लाख (85.47 लाख/2) की रॉयल्टी ज्यादा काटी की गई है।

विभागीय उत्तर में बताया गया की पर्वतीय क्षेत्र गोपेश्वर में सडकों के निर्माण में उपयोग किये गये उपखनिज पर ठेकेदारों से रु.154 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी की कटौती की गई है। रायल्टी की दरों मे पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है, पूर्ण दर से की गई है। शासनादेश संख्या 211/VII-1/2016/24–ख/2007 देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2016 के अनुसार रायल्टी की कटौती की गई है, जो पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र दोनों के लिए है। उपर्वर्णित नियम की पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रायल्टी दर तत्समय निर्धारित न्यूनतम रायल्टी दर का 50 प्रतिशत से नहीं की गई। उक्त दर उत्तराखंड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के अनुसार 50% दर चुगान हेतु मान्य थी, परंतु किसी भी ठेकेदार द्वारा चुगान हेतु प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त उत्तराखंड शासनादेश के अतिरिक्त उत्तराखंड के Mines and Mineral विभाग के पत्रांक संख्या..... दिनांक ..... के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रॉयल्टी दर निर्धारित रॉयल्टी दर का 50 प्रतिशत लागू होगा।

अतः ठेकेदार नागरिकों से रु0 42.74 लाख की ज्यादा वसूल की गई रॉयल्टी फीस को नियमानुसार लागू ब्याज सहित वापसी का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ब

प्रस्तर–3:– ठेकेदार द्वारा नियमानुसार कार्य पूर्ण न किये जाने के बावजूद उस पर ₹ 20.75 लाख (10% of 2,07,54,102.53) का अर्थदण्ड न लगाकर अनुचित लाभ दिया जाना।

जनपद चमोली में टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत जुम्मा से कागा लग्गा– द्रोणागिरी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 6.600 किमी॰ एवं 90 मीटर स्पान के पुल हेतु) तक के लिए ` 64.50 लाख की प्रथम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2003) प्रथम चरण (वनभूमि कार्य) कार्य हेतु एवं वित्तीय स्वीकृति उपरोक्त कार्यो हेतु ( 16 किमी मार्ग लंबाई एवं 90 मीटर स्पान हेतु) ` 441.50 लाख की प्रदान की गयी (मार्च (2005। निर्माण हेतु कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू॰ 670.76 लाख की प्रदान की गई थी (11/2016)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग॰क्षे॰) द्वारा रू॰ 670.76 लाख की प्रदान की गई थी (01/2016)। **निर्माण कार्य के अन्तर्गत पुल निर्माण एवं पहाड़ कटान (4.10 किमी॰) हेतु 2 अलग–अलग अनुबन्ध गठित किये गये। पहाड़ कटान हेतु (4.10 किमी॰) अनुबन्ध संख्या 01/एस॰ई॰–7/2016–17 दिनांक 12.04.2016 ठेकेदार मै॰ आर॰टी॰ए॰ इंजीनियरिंग के साथ धनराशि रू॰ 2.08 करोड़ का गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथि क्रमशः 12.04.2016 एवं 11.04.2017 थी।**

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर चमोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लेखा परीक्षा तिथि 10/2018 तक कार्य अपूर्ण था जबकि अनुबन्धानुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि (11.04.2017) से लगभग 1½ वर्ष अधिक व्यतीत हो चुके था। आगे जाँच में यह भी पाया गया कि अनुबन्ध में संलग्न जी॰पी॰डब्ल्यू॰–9 की शर्तानुसार (कण्डिका 4.5) ठेकेदार पर कार्य समयपूर्वक पूर्ण न करने के कारण अर्थात निर्धारित Milestone के अनुसार वित्तीय प्रगति प्राप्त न करने के कारण उसके बिलों से नियमानुसार धनराशि रोकनी (withhold) चाहिए थी एवं उस पर आगणन की धनराशि का दस प्रतिशत की दर से (अधिकतम) रू॰ 20.75 लाख का अर्थदण्ड लगाना चाहिए था,

जो कि नहीं लगाया गया था। साथ ही जाँच में यह भी पाया गया कि कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि बीतने के बावजूद ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु कोई प्रार्थना पत्र खण्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त बिना समयवृद्धि प्रदान किये/प्राप्त किये ठेकेदार कार्य करता रहा एवं उसे भुगतान किया जाता रहा।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही उच्चाधिकारियों को समयवृद्धि प्रकरण तैयार कर प्रेषित किया जायेगा। उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड अन्तिम देयक से काट लिया जायेगा।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अर्थदण्ड लगाना चाहिए था तथा साथ ही कार्य की प्रगति निर्धारित Milestone के अनुसार न होने के कारण ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार धनराशि भी रोकनी (withhold) चाहिए थी। साथ ही कार्य की निर्धारित अनुबन्धित तिथि की समाप्ति के पश्चात ठेकेदार द्वारा बिना समय वृद्धि स्वीकृति के कार्य जारी रखना एवं उसे भुगतान किया जाना अपने आप में अनियमितता है। आगे खण्ड द्वारा 90 मीटर स्पान के पुल से सम्बन्धित आगणन एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जिसके कारण इस कार्य की जाँच न की जा सकी।

इस प्रकार अनुबन्ध की शर्तानुसार ठेकेदार पर अर्थदण्ड न लगाकर उसे ₹ 20.75 लाख का अनुचित लाभ दिया गया था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 ब

प्रस्तर–4 :– निक्षेप कार्यों पर स्वीकृत धनराशि से रू॰ 14.82 लाख अधिक व्यय किया जाना।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर चमोली के माह 09/2018 के निक्षेप पंजिका के भाग–।।। की नमूना जाँच में पाया गया कि खण्ड द्वारा निर्माण कार्यों में कुछ कार्यों हेतु (**सलंग्न विवरण के अनुसार**) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू॰ 1482660.00 अधिक व्यय किया गया था, जो वित्तीय नियमों के विपरीत था।

स्वीकृति से अधिक धनराशि किस मद से व्यय की गई एवं क्यों की गई को लेखापरीक्षा **द्वारा** पूछे जाने पर खण्ड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Extract of deposit register

कार्य का नाम	अधिक (ऋणात्मक व्यय)
विकास खंड दसौली में राजकीय उच्च माध्यमिक स्वाल देवलधार में भत्ता कक्ष का निर्माण	182337
वृत्तीय कार्यालय में स्टेशनरी में आपूर्ति	309383
गोपेश्वर कुष्ड़ कालोनी में अधिकारी आवासों की मरम्मत	859123
कुष्ड़ कालोनी स्थित ट्रांज़िट/घिंघराणा/ हॉस्टल की मरम्मत	131817
	Total - 1482660/-

(-) 14.83 लाख

STAN

प्रस्तर- 1 रु0 26.37 एवं रु0 32.52 लाख का बगैर अधिकृत जीएसटी नम्बर के जीएसटी का अनियमित भुगतान।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के माह 08/2018 से माह 09/2018 तक के वाउचरों/बिलों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों के क्रम में ठेकेदारों को रु0 26,36,523.00 [लेखा परीक्षा में जितने बिलों (संलग्न) की जांच की गई] जीएसटी भुगतान किया गया । उक्त जीएसटी के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जीएसटी विभाग, गोपेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु नहीं किया गया, जिससे भुगतान किए गये जीएसटी सरकार के खजाने में जमा / समय से जमा किया गया की सुनिश्चिता तय नहीं की जा सकी।

साथ ही यह भी पाया गया कि खंड द्वारा माह 07/2017 से 09/2018 के दौरान 57 ठेकेदारों / फ़र्मों (सूची संलग्न) को बगैर जीएसटी नम्बर के रु0 32,51,544.00 का जीएसटी भुगतान किया गया।

इस प्रकार बगैर अधिकृत जीएसटी नम्बर के जीएसटी का भुगतान किया गया जो जीएसटी नियमों के विपरीत है तथा ऐसे भुगतान को राजस्व में जमा हुआ है कि नहीं, की सुनिश्चिता नहीं की गई, भुगतान से संबन्धित ठेकेदार द्वारा जमा राजस्व चालान की प्रति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

विभागीय उत्तर में बताया गया की सभी जीएसटी अधिगृहीत ठेकेदारों को ही भुगतान किया गया है, जीएसटी की भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जीएसटी विभाग, गोपेश्वर को की गई है यदि विभाग द्वारा अवगत कराया जाता है कि उक्त ठेकेदारों द्वारा जीएसटी नहीं जमा किया गया तत्पश्चात ही वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा-परीक्षा में अंकित समायावधि (08/2018 और 09/2018) के दौरान जीएसटी भुगतान की सूचना संबन्धित विभाग को नहीं दी गई है साथ ही उपरोक्त 57 ठेकेदारों / फ़र्मों को माह 07/2017 से 09/2018 के दौरान रु0 32,51,544.00 का जीएसटी भुगतान किया गया, परंतु उन ठेकेदारों का जीएसटी नम्बर के स्थान पर लेखा-परीक्षा को पुराना लागू TIN नंबर उपलब्ध कराया गया जोकि अप्रसांगिक है।

अतः रु0 26.37 लाख जीएसटी के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जीएसटी विभाग, गोपेश्वर को नहीं किया जाना एवं रु0 32.52 लाख का बगैर अधिकृत जीएसटी नम्बर के जीएसटी के भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
35/2003-04	1 व 2	-
75/2004-05	1 व 2	-
68/2005-06	1	03
17/2009-10	1	1 व 2
91/2011-12	1 व 2	-
61/2014-15	-	1,2 व 3
112/2015-16	-	1 व 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि विगत लेखा-परीक्षाओ के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुति कराकर कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखा-परीक्षा, को प्रेषित कर दी जायेगी, अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर(चमोली),** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   256/L, 279/L, 295/L, 299/L, 305/L, 306/L, 308/L, 319/L, 321/L, 325/L, 326/L

   रग्गा-लग्गा-द्रोणागिरी कार्य 90 मीटर स्पान से संबन्धित अभिलेख।

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	अवधि
(1)	श्री धन सिंह रावत	02/06/2016 से वर्तमान तक।

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।**

(1)	श्री अरविंद कुमार	30/07/2016 से अब तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर(चमोली),** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कौलागढ़,देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2